

न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का चांदूर

मुकदमा नंबर 97/2016
बनाम गैरसायल


रामाराम पुत्र बाबरा
जाति रेबारी नि. चांदूर

निर्णय

दिनांक:-10.11.2016

पत्रावली पेश हुई। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चांदूर व निरीक्षक भू.अ. चांदूर ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा चांदूर के खसरा नंबर 891 रकबा 0.10 हेक्टर किस्म गै.मु.ओरण में अनाधिकृत रूप से कर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नहीं किये, जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत संवत 2073 में मौजा चांदूर खसरा नंबर 891 रकबा 0.10 हेक्टर किस्म गै मु ओरण अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 0.60 का 50 गुणा रू० 24/- अक्षरों चोबीस रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) चांदूर, पटवारी हल्का चांदूर को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।


तहसीलदार, जसवंतपुरा